'कर्बला में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का विरोध किया तो पुलिस ने पप्पू कुरैशी और यूनूस चौंपदार को थाने में बैठाया, गाली-गलौच की'

विधायक रफीक खान और अमीन कागजी पहले थाने पहुंचे, फिर पीड़ितों को लेकर पुलिस कमिश्नर से मिलकर एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी और एसीपी चंद्र सिंह रावत की शिकायत की

जयपुर (कासं)। कर्बला मैदान में जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने से मुस्लिम समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। क्रिकेट मैच का विरोध करने वाले पप्पू कुरैशी और यूनूस चौंपदार के साथ आमेर एसीपी चंद्र सिंह रावत और एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी ने गाली-गलौच करके और हाथ-पांव तोड़ने की धमकी तक दे डाली। बाद में ब्रह्मपुरी थाने में जब विधायक रफीक खान और अमीन कागजी पहुंचे तो पुलिस ने दोनों को छोड़ा। हालांकि पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से मिलकर दोनों अफसरों की शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

आमेर एसीपी चंद्र सिंह रावत और एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी की शिकायत पुलिस कमिश्नर से करने के लिये पप्पू कुरैशी और युनूस चौंपदार पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे। उनके साथ विधायक रफीक खान और अमीन कागजी के अलावा कई समर्थक मौजूद थे।

- कर्बला मैदान में जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने पर मुस्लिम समाज में छाया है रोष

पीड़ित पप्पू कुरैशी ने बताया कि मुस्लिम समाज के लिए कर्बला का मैदान पवित्र है। यहां जलदाय मंत्री के पुत्र रोहित ने अपनी जिद के कारण क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दिया। इससे मुस्लिम समाज में रोष छाया हुआ है। पिछले दिनों जब हमने विरोध जताया तो शुक्रवार को आमेर एसीपी चंद्र सिंह रावत और थानाधिकारी प्रदीप सिंह ने कर्बला मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटते वक्त पप्पू कुरैशी, यूनूस चौंपदार और जहीम कुरैशी को चाय पिलाने के बहाने ब्रह्मपुरी थाने ले जाकर बैठा लिया। पप्पू कुरैशी का आरोप है कि थाने में पहले से मौजूद एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी और एसीपी चंद्र सिंह रावत ने बंद कमरे में बैठाकर डराया-धमकाया और मोबाइल छीनकर पुलिसकर्मी को दे दिया। मंत्री पुत्र रोहित के द्वारा करवाये जा रहे टूर्नामेंट का विरोध करने पर दोनों ने धमकाया कि "तुझे पता नहीं है कि तू कितने ताकतवर नेता से टक्कर ले रहा है, या फिर तू ही ज्यादा इंटरनेशनल नेता बन रहा है। तेरे साथ ऐसा करेंगे कि समझ नहीं पायेगा। हमने तुम्हारी पूरी जानकारी निकाल ली है, आज से ही तेरी उल्टी गिनती शुरू है। तेरे चैनपुरा में कारोबार को बर्बाद कर देंगे, ऐसे-ऐसे मुकदमें लगाएंगे कि जेल से बाहर नहीं निकल पायेगा।"

पीड़ितों का कहना है कि पुलिस अफसरों के इस रवैये का विरोध जताना चाहा तो कुछ पुलिसकर्मियों को बुलाकर पीछे खड़ा कर दिया और गालियां देते हुए हाथ और गर्दन तोड़ने तक की धमकी दे डाली।

पप्पू कुरैशी ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान और किशनपोल विधायक अमीन कागजी थी ब्रह्मपुरी थाने पर पहुंचे, जिस पर दोनों पुलिस अफसरों ने हमें छोड़ दिया। जब हमने दोनों विधायकों को पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से मिलकर शिकायत करने को कहा। इसके बाद पीड़ित पप्पू कुरैशी और यूनूस चौंपदार ने पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर आयुक्त आनंद श्रीवास्तव को पूरा मामला बताकर दोनों अफसरों को तुरंत सस्पैंड करने की मांग की। अब मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया है। पीड़ितों ने कहा कि पुलिस का ऐसा घिनौना और खतरनाक चेहरा बेहद घातक है। मंत्री महेश जोशी के दबाव में आकर दोनों अधिकारी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे है। इन्हें तुरंत सस्पैंड करके नॉन फील्ड करना चाहिए।

जयपुर में ओले

जयपुर के कई इलाकों में शुक्रवार को ओले पड़े। प्रतापनगर सेक्टर 26 में सड़कों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई।

कोटपूतली नगरपालिका में अगले 45 दिन तक किसी भी निर्माण को तोड़ने पर रोक लगाई

-यादवेन्द्र शर्मा-

- अदालत ने याचिकाकताओं को राहत देते हुए नगरपालिका को निर्देश दिया कि 30 दिन के भीतर वह सभी दुकानदार व मकान मालिकों की सुनवाई करे और फिर आदेश पारित करे
- अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी दुकानदार या मकान मालिक नगरपालिका के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह अगले 15 दिन में अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट में कोटपूतली के 39 व्यापारियों और मकान मालिकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिन्हें स्थानीय नगरपालिका ने सड़क चौड़ी करने और रास्ते में आने वाली सभी स्थायी व अस्थायी निर्माण को तोड़ने के संबंध में नोटिस भेजा था और चिन्हित किया था। मामले में न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने याचिकाकताओं को राहत देते हुए नगरपालिका को निर्देश दिया और कहा 30 दिन के भीतर वह सभी दुकानदार व मकान मालिकों की सुनवाई करे और फिर उपरोक्त आधार पर आदेश पारित करे।

अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि कोई भी दुकानदार या मकान मालिक नगरपालिका के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह अगले 15 दिन में अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने नगरपालिका को अगले 45 दिन तक किसी भी निर्माण को तोड़ने पर कोई भी कार्यवाही करने पर रोक लगा दी।

इस मामले में पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता सचिन बोरा ने याचिकायें दायर की थी और वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और उनके सहायक वकील मधूसुदन राजपुरोहित अदालत में पेश हुए थे।

जैसा कि विदित है कि इस मामले दिसंबर माह में एक मकान मालिक ने कोटपूतली में हाई वे से संलग्न सड़क का विस्तार करने के लिए कई निर्माणों को तोड़ने के संबंध में नगर पालिका द्वारा जारी किये गये नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। तब भी अदालत ने नगर पालिका के नोटिस को अवैध करार दिया था क्योंकि नगर पालिका ने कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था, और नोटिस में यह नहीं बताया था कि सड़क पर कहां-कहां अतिक्रमण है जिसे हटाया जाना है। साथ ही नगर पालिका ने मकान मालिकों और दुकानदारों को जमीन अवाप्त करे बिना ही उनके निर्माणों को तोड़-फोड़ के लिए चिन्हित कर लिया था।

अदालत ने इस मामले से संबंधित अन्य पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई करी है और नगर पालिका को दुकानदारों व मकान मालिकों में सुनवाई कर निर्णय लेने कहा है और तब तक किसी भी निर्माण पर कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है।

प्रदेश में बाट, माप व पैकेज नियमों से संबंधित 104 निरीक्षण किये

जयपुर। उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ ने 1 जनवरी से प्रारम्भ हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में प्रदेश में गुरूवार को 104 निरीक्षण किये और पाई गई अनियमिताओं के अन्तर्गत बाट व माप से संबंधित 38 प्रकरण व पैकेज नियमों का उल्लंघन करने पर 20 प्रकरण दर्ज किए। 55 प्रकरणों में शमन स्वरूप 1 लाख 21 हजार 500 रूपये की राशि राजकोष में जमा करवाई। 3 प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि विधिक माप विज्ञान की टीम द्वारा प्रदेशभर में निरन्तर निरीक्षण और कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में विभाग के अधिकारियों द्वारा अब तक कुल 470 निरीक्षण किए गए हैं। इसमें से बाट व माप से संबंधित 162 प्रकरण व पैकेज नियमों से संबंधित 69 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वरूप सिंह चौधरी पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी 171-172, शक्ति नगर निवारू रोड, जयपुर ने समिति कार्यालय में शपथ-पत्र व गुमशुदगी सूचना क्रमांक 126 दिनांक 21.2.2014 को पुलिस थाना झोटवाड़ा जयपुर में प्रस्तुत कर समिति की योजना स्कीम नम्बर 10 (शक्ति नगर) निवारू रोड, जयपुर में भूखण्ड संख्या 154 क्षेत्रफल 252 वर्गगज का डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी करने की प्रार्थना की है। यदि किसी व्यक्ति संस्था व अन्य को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की तिथि से 14 दिवसो में समिति कार्यालय में ऐतराज प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद गुजरे मियाद कोई ऐतराज स्वीकार नहीं होगा तथा डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी कर दिया जायेगा। **मोहन लाल शर्मा, सचिव**

मैं सूरज देवी w/o मोहन लाल जांगिड़ निवासी सी-643 योजना 4सी मां चड़ा है, सूचित किया जाता है की मेरी संपत्ति से संपर्क कोई पावर ऑफ़ ऑटोनी या कोई एग्रीमेंट आज की तारीख 06/01/2022 से पहले और बाद में वैद नहीं माना जायेगा संपर्क सूत्र 9587777889

नगरपालिका मण्डल श्रीमाधोपुर सीकर राज
प्ररूप-10
(नियम 6 (7) देखिए)
क्रमांक- नपाश्रीमा/2021-22/3783-84 **लोक सूचना** दिनांक- 06.01.2022

श्री प्रदीप चौधरी पुत्र स्व. श्री सीताराम निवासी वार्ड नं. 19 चौधरियों का मोहल्ला, सुरानी बाजार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनों के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला सीकर तहसील श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	290	0.2800 हैक्टर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 06.01.2022 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका श्रीमाधोपुर**

NOTICE TO SHOW CAUSE
[Appendix H, Form No. 4]
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH, JAIPUR
Santra Devi VS. Bhanwar Lal & Ors.
Petitioner Respondent
S.B. CIVIL MISC. STAY APPLICATION 28498/2021
along with
S.B. CIVIL FIRST APPEAL NO. 337/2021
TO
1. Manju W/o Late Hansraj Joshi, Resident of Plot no. 66/67, Lohiya Bhawan, Kanti Nagar, Polovictory ke Samne, Jaipur.
2. Hitesh S/o Late Hansraj Joshi, Resident of Plot no. 66/67, Lohiya Bhawan, Kanti Nagar, Polovictory ke Samne, Jaipur.
3. Bhawna D/o Late Hansraj Joshi, Resident of Plot no. 66/67, Lohiya Bhawan, Kanti Nagar, Polovictory ke Samne, Jaipur.

Whereas the above named appellant has made a first appeal to this Court under Section 96 of the Code of Civil Procedure, a copy is enclosed.
You are hereby informed that you may appear in person or by a pleader duly instructed on the 12.1.22 (CD) at——— O' Clock, to show cause why the first appeal should not be admitted, failing wherein the said appeal will be heard and admitted exparty.ty.
Given under my hand and the seal of the court, this day 5.1.22 of
मोहर
Registrar
Rajasthan High Court, Jaipur

कायोलय नगरपालिका मालपुरा जिला टोंक (राज.)

क्रमांक-न.पा.मा./21-22/7206 दिनांक- 6.1.2022

सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा हितबद्ध व्यक्ति विशेष आम खास को सूचित किया जाता है कि पालिका क्षेत्र में अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट पट्टा, लीज डीड पट्टा, कृषि भूमि नियमन नामान्तकरण, भवन निर्माण अनुज्ञा पट्टा चाहा गया है। किसी भी व्यक्ति को निम्नांकित इजाजत बाबत आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर मयाद विधिमान्य दस्तावजों सहित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। बाद मयाद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	नाम प्रार्थी	मोहल्ला	भूखण्ड संख्या/नाप	प्रयोजन
1	श्री शिवराज चौधरी पुत्र बालूराम चौधरी निवासी शिव कॉलोनी दूदू रोड मालपुरा	आराजी खसरा नम्बर 1299/3 रकबा 2.17 बीघा आवासीय शिव कॉलोनी वाके कस्बा मालपुरा	पूर्व से पश्चिम 60 फीट, उत्तर से दक्षिण 40 फीट कुल 266.66 वर्गगज	69-ए
2	श्रीमती सुशिला चौधरी पत्नि शिवराज चौधरी निवासी शिव कॉलोनी दूदू रोड मालपुरा	आराजी खसरा नम्बर 1310/2 वाके कस्बा मालपुरा	भूखण्ड संख्या 1 ए पूर्व से पश्चिम 15 फीट, उत्तर से दक्षिण 10 फीट कुल 16.66 वर्गगज	69-ए
3	श्रीमती सुशिला चौधरी पत्नि शिवराज चौधरी निवासी शिव कॉलोनी दूदू रोड मालपुरा	आराजी खसरा नम्बर 1310/2 वाके कस्बा मालपुरा	भूखण्ड संख्या 16 पूर्व से पश्चिम 15 फीट, उत्तर से दक्षिण 15 फीट कुल 25 वर्गगज	69-ए
4	श्री मोहम्मद शफी पुत्र खालिद अहमद निवासी छोटी मस्जिद के पास मोहल्ला सादात मालपुरा	छोटी मस्जिद के पास मोहल्ला सादात मालपुरा	.	69-ए
5	श्री अ. हफीज पुत्र अहमद अली निवासी मोहल्ला सादात मालपुरा	मोहल्ला सादात मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
6	श्री शहजाद अहमद पु. मो. सलीम निवासी नागोरियो की मस्जिद के पास नागोरी मोहल्ला मालपुरा	नागोरिया की मस्जिद के पास नागोरी मोहल्ला मालपुरा	.	69-ए
7	श्रीमती शेहेबा पत्नि युसुफ अली निवासी बडी मस्जिद के पास मोहल्ला सादात मालपुरा	बडी मस्जिद के पास मोहल्ला सादात मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
8	श्री अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी उर्दू ब्लाक के पास मालपुरा	उर्दू ब्लाक के पास मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
9	श्री निजामुद्दीन पुत्र मोहम्मद शाह निवासी हथाई के पास मोहल्ला सादात मालपुरा	हथाई के पास मोहल्ला सादात मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
10	श्रीमती कमला देवी पत्नि कैलाश चन्द शर्मा निवासी हाथगी तहसील मालपुरा	आराजी खसरा नम्बर 1471 रकबा 1.17 बीघा वाके कस्बा मालपुरा	भूखण्ड संख्या 15बी पूर्व से पश्चिम 50 फीट, उत्तर से दक्षिण 25 फीट कुल 138.88 वर्गगज	कृषि भूमि
11	श्री हुसैन पुत्र सुबराती खां जाति देशवाली निवासी देशवाली मोहल्ला मालपुरा	देशवाली मोहल्ला मालपुरा	204.71 वर्गगज	69-ए
12	श्री रामलाल पुत्र भँवरलाल कुमावत निवासी वार्ड नं. 1 गोपाल नगर नगर मालपुरा	वार्ड नं. 1 गोपाल नगर मालपुरा	भूखण्ड संख्या 97, 98 साईज 50 X 25	कृषि भूमि
13	श्री फय्युम अहमद पुत्र कय्युम निवासी नई मस्जिद के पास मालपुरा	नई मस्जिद के पास मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
14	श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व. घीसालाल जैन निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर	आराजी खसरा नम्बर 1312/4 रकबा 0.14 बीघा वाके कस्बा मालपुरा आवासीय साकेत नगर	कुल 293.33 वर्गगज	कृषि भूमि
15	श्री अय्यूब अली पुत्र अब्दुल रज्जाक एवं शबनम पत्नि अय्युब अली निवासी वार्ड नं. 22 मालपुरा	वार्ड नं. 22 मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
16	श्री अब्दुल माजिद पुत्र अब्दुल मजीद एवं फिरोजा पत्नि अब्दुल माजिद निवासी वार्ड नं. 22 मालपुरा	वार्ड नं. 22 मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
17	श्री अब्दुल मारूफ, मरगुब अहमद पुत्र अब्दुल रउफ निवासी वार्ड नं. 22 मालपुरा	वार्ड नं. 22 मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
18	श्री रमजानी पुत्र अलादीन एवं वकीला पत्नि रमजानी निवासी वार्ड 5 मालपुरा	वार्ड नं. 5 मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
19	श्री मोहम्मद सलीम पुत्र हबीब अली एवं संजीदा पत्नि मोहम्मद सलीम निवासी वार्ड नं. 11 मालपुरा	वार्ड नं. 11 मालपुरा	.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट
20	श्री सैयद अनवर अली नकवी पुत्र सैयद अहमद अली निवासी कुम्हारो की गली मोहल्ला सादात कुम्होरा की गली मोहल्ला सादात मालपुरा		.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मालपुरा

NOTICE TO SHOW CAUSE
[Appendix H, Form No. 4]
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH, JAIPUR
Santra Devi VS. Bhanwar Lal & Ors.
Petitioner Respondent
S.B. CIVIL FIRST APPEAL NO. 337/2021
along with
S.B. CIVIL MISC. STAY APPLICATION 28498/2021
TO
1. Manju W/o Late Hansraj Joshi, Resident of Plot no. 66/67, Lohiya Bhawan, Kanti Nagar, Polovictory ke Samne, Jaipur.
2. Hitesh S/o Late Hansraj Joshi, Resident of Plot no. 66/67, Lohiya Bhawan, Kanti Nagar, Polovictory ke Samne, Jaipur.
3. Bhawna D/o Late Hansraj Joshi, Resident of Plot no. 66/67, Lohiya Bhawan, Kanti Nagar, Polovictory ke Samne, Jaipur.

Whereas the above named appellant has made a first appeal to this Court under Section 96 of the Code of Civil Procedure, a copy is enclosed.
You are hereby informed that you may appear in person or by a pleader duly instructed on the 12.1.22 (CD) at——— O' Clock, to show cause why the first appeal should not be admitted, failing wherein the said appeal will be heard and admitted exparty.ty.
Given under my hand and the seal of the court, this day 5.1.22 of
मोहर
Registrar
Rajasthan High Court, Jaipur

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 44/21
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रार्थी नाम ठाकुर दास पुत्र स्व. श्री गेही मल जाति सिंधी विवाद स्थान 113/5, रामतीर्थ मार्ग, मानसरोवर, जयपुर मृतक डॉ. अनूप शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 25.2.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम डॉ. अनूप शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 113/4, रामतीर्थ मार्ग, मानसरोवर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 02 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 06 माह 01 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
शरिस्तेदार
मोहर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर

32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक को लेकर सुनवाई 15 तक टली

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 32 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर लगी रोक के मामले में सुनवाई 15 फरवरी तक टाल दी है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया था। जस्टिस नरेन्द्र सिंह और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश कुणाल रावत की जनहित याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एजी एमएस सिंघवी ने अदालत से कहा कि बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए लेडर आ चुका है। इसलिए 32 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की बिल्डिंग के निर्माण पर लगी रोक को हटाया जाए। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि लेडर तो आ चुका है, लेकिन उसका संचालन नहीं किया जा रहा है और ना ही उसे नगर निगम को ही सौंपा गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्रों का जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 फरवरी तक टाल दी है। जनहित याचिका में शहर के विद्याधर नगर में एक मकान में आग लगने से पांच लोगों की मौत का हवाला देते हुए फायर ब्रिग्रेड स्टेशनों में संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाया गया है। हाईकोर्ट ने ऊंची इमारतों में लगी आग को बुझाने के लिए हाइड्रोलिक लेडर नहीं आने तक 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी थी।

आयोग ने उपभोक्ता पर लगाया हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम ने परिवाद की सुनवाई के लिए बिना कारण हवाई टिकट बुक करने वाले एजेंट को पक्षकार बनाने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही आयोग ने उपभोक्ता पर सात हजार पांच सौ रुपए का हर्जाना लगाते हुए परिवाद खारिज कर दिया है। आयोग ने हर्जाना राशि एक माह में बुकिंग एजेंट को देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह आदेश मोहम्मद हारुन के परिवाद पर दिए।

आयोग ने कहा उपभोक्ता कानून ग्राहक के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन इसके आधार पर उपभोक्ता को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बुकिंग एजेंट का काम सिर्फ टिकट बुकिंग तक ही सीमित था। इसके अलावा परिवादी की यात्रा भी मुम्बई में पूरी हो गई थी। ऐसे में बुकिंग एजेंट को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। परिवाद में कहा गया कि वह व्यवसाय के काम से मुम्बई होते हुए लुसाका गया था। इसके लिए उसने बीसीएस टूर एंड ट्रेवल्स से टिकट बुक कराए थे। वापस जयपुर आने के लिए वह 27 सितंबर 2012 को मुंबई उतरा था। वहां कीनिया एयरवेज ने उसका हैंड बैग जब्त कर लिया। इसके चलते उसे मुम्बई में तीन दिन अनावश्यक रुकना पड़ा। हैंड बैग में दवा और कपड़े आदि भी थे। दवा के अभाव में परिवादी बीमार भी हो गया। ऐसे में उसे कुल चार लाख 75 हजार रुपए का हर्जाना दिलाया जाए।

नाम परिवर्तन
मैंने मेरा नाम मनोज कुमार सिंह से बदलकर मनोज चौधरी रख लिया है भविष्य में मुझे मनोज चौधरी के नाम से जाना जाये। मो. 9680929292

मैंने अपने पुत्र का नाम रूद्र मोदानी से बदलकर अनंत मोदानी रख लिया है। भविष्य में उसे अनंत मोदानी पुत्र अरविन्द कुमार मोदानी के नाम से जाना पहचाना जावें। प्लाट नं. ए-34-ए, तुलसी नगर, अमानीशाह रोड, शास्त्री नगर, जयपुर

आम सूचना
सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री विशाल पुत्र स्व. श्री पूरण चन्द अग्रवाल द्वारा AXIS बैंक, ब्रांच- हवा सड़क, जयपुर से लिए गए ऋण को वापिस जमा करवा दिया। ऋण की एवज में रखे उनकी माता श्रीमती कुसुमलता धर्मपत्नी पूरण चन्द अग्रवाल के स्वामित्व के म.सं. 40, कनक विहार कॉलोनी, कनकपुरा (जयपुर) के मूल दस्तावेजात वापिस लिए जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्थान को आपत्ति हो तो 7 दिवस में अपनी आपत्ति दर्ज करें।
दिव्यप्रताप सिंह (एडवोकेट)
राजस्थान उच्च न्यायालय। मो. 9001860869

खोया-पाया
हमारे म.नं. क्यू-48 (एसएफएस) टाइप-ई, अल्टरनेटिव-द्वितीय, राज आंगन, एनआरआई कॉलोनी, सेक्टर-24, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का मूल रिवाइज्ड अलॉटमेंट लैटर नं.1148 दि. 27.09.2007 व कब्जा पत्र नं. 253 दि. 25.05.2009 कहीं गुम हो गया। **मिलने पर सूचित करें।** रविन्द्र कुमार माथुर बेनु माथुर मो. 8107255731

मेरे प्लॉट नं. 35 भंवर कॉलोनी, रामपुरा रोड़, सांगानेर जयपुर जिसका मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड सोसाईटी का मुल पट्टा खो गया है। **मिलने पर सूचित करें-** लड्डो पत्नी अब्दुल सलीम। मो. 9413384960

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन-14/2021/डी-1769 दिनांकः 16.12.21
सार्वजनिक सूचना- जविप्रा की योजना उदय विहार के भू.सं. 271 क्षेत्रफल 84 व.मी. की लीजडीड क्रमांक 168 दिनांक 28.05.2015 को श्रीमती भौंरी देवी खटीक पुत्री श्री मूलचन्द खटीक के पक्ष में जारी की गई थी। आवेदक श्री हेमन्त मल्होत्रा पुत्र श्री मदन लाल द्वारा स्व घोषणा-पत्र, उक्त लीजडीडधारिया श्रीमती भौंरी देवी खटीक की मृत्यु 19.02.2018 को होने का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा व पहचान पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करवाने हेतु ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किया गया है। अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-14 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

-: आम सूचना :-
मेरे पक्षकार नेमीचन्द पुत्र श्री बंशीलाल, आयु 61 वर्ष निवासी जैन मंदिर, पुराना बाजार, इटावा जिला कोटा के निर्देशानुसार इस आम सूचना के जरिये सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का पुत्र अविनाश जैन एवं पुत्रवधु श्रीमती गीतांजली, मेरे पक्षकारके कहने में नही है तथा उक्त दोनों मेरे पक्षकारसे लडाई झगडा व दुर्व्यवहार करते है। इनके आचरण से मेरा पक्षकार जो वरिष्ठ नागरिक है, बहुत दुखी है। इसलिए मेरा पक्षकार अपने पुत्र अविनाश जैन एवं पुत्रवधु श्रीमती गीतांजली को अपनी स्वअर्जित समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करता है तथा मेरे पक्षकार का इनसे कोई लेना-देना नहीं रहा है, कोई भी दीगर व्यक्ति इनसे मेरे पक्षकार के बिहाफ पर किसी प्रकार को व्यवहार नही करे, यदि इसके पश्चात भी कोई संव्यवहार इन दोनो से करता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। **विजय कछावाहा एडवोकेट**
मो. 9828451522

तीये की बैठक

हमारे पूजनीय पिताजी **श्री रावत सिंह जी** (ठिकाना तुर्कीयावास) का स्वर्गवास दिनांक 6 जनवरी 2022 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 8 जनवरी 2022 को सायं 4.00 से 5.00 बजे ब्रज भवन, एचपी पेट्रोल पम्प के सामने, कालवाड रोड, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल-सुरेन्द्र सिंह शेखावत, कर्नल वीरेन्द्र सिंह, कर्नल नरेन्द्र सिंह, कर्नल राजेन्द्र सिंह (पुत्र) एवं समस्त परिवारजन

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।